परिशिष्ट "ख"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आस-पास के राज्यों में परिचालित अन्तर्राज्यीय सेवाएं जिसमें दिल्ली को कॉरिडोर के रूप में प्रयोग किया गया है।

यह समादेश याचिका (प्रकरण) सं. 9300/82, 939/96 तथा आई.ए. सं. 7, 8, 9, एवं 10 के साथ 1985 की समादेश याचिका (प्रकरण) सं. 13029 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20-11-97 के आदेशों के पैरा में जारी पूर्व सार्वजनिक सूचना सं. एफ-14/पीए/सेक्रेटरी/एसटीए/97/पीएफ/1417 दिनांक 5-12-97 के क्रम में है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आस-पास के राज्यों में अन्तर्राज्यीय सेवाओं पर परिचालन के दौरान दिल्ली को कारिडोर के रूप मे प्रयोग करने के लिए दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कारिडोरों का निर्धारण किया गया है। यद्यपि ऐसी सेवाओं के परिचालन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि यदि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सेवाएं परिचालित करने का इच्छुक है तो उसे दिल्ली राज्य द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित कॉरिडोरों का प्रयोग करना होगा :

1. **गुड़गांव खण्ड से सोनीपत खण्ड परिचालित सेवाएं—उदाहरणार्थ : जयपुर-चंडीगढ़ :**

ऐसी सेवाओं के लिए निम्नलिखित कारिडोर निर्धारित किया गया है :—

कापसहेड़ा बार्डर, पुराना गुड़गांव रोड, बाया मोड बिजवासन रोड, नजफगढ़, दिचांउकला, घेवरा मोड़, कंझावला, बवाना, नरेला, सिंघु बार्डर।

2. **फरीदाबाद खण्ड से सोनीपत खण्ड परिचालित सेवाएं—उदाहरणार्थ भरतपुर-चंडीगढ :**

ऐसी सेवाओं के लिए निम्नलिखित कारिडोर निर्धारित किया गया है :—

बदरपुर बार्डर, महरौली-बदरपुर रोड, लोडो सराय, आया नगर, एन एच-8, पुराना गुड़गांव रोड, कापस हेडा मोड, बिजवासन रोड, नजफगढ, दिचांउकल, घेवरा मोड, कंझावला गांव, बवाना, नरेला, सिंघु बार्डर।

3. **गुड़गांव खण्ड से उत्तर प्रदेश परिचालित सेवाएं—उदाहरणार्थ जयपुर हरिद्वार :**

ऐसी सेवाओं के लिए निम्नलिखित कारिडोर निर्धारित किया गया है :—

सिकन्दरपुर बार्डर, पुराना गुडगांवा रोड, एन एच-8, आया नगर, लाडो सराय, महरौली-बदरपुर रोड, सरिता विहार, कालिन्दी कुन्ज, नौएडा सैक्टर-2, नौएडा सैक्टर-6, झुण्डपुरा, दल्लुपुरा, एन.एच.-24, गाजीपुर बार्डर।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली को कारिडोर के रूप में प्रयोग करने वाली इस प्रकार की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय सेवाएं किसी भी परिस्थिति में दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों (आई.एस.बी.टी.) के माध्यम से नहीं जायेंगी।

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2002

No. F. 47/DD(STA)/Cell/2000/205. DD (STA)/1/611/97/83.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi after previous publication and taking into consideration any objections and suggestions received, hereby publish the Reciprocal Transport Agreement made between the Government of Delhi and Government of Rajasthan.

By Order and in the name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

SINDHUSHREE KHULLAR, Secy.-cum-Commissioner (Transport)/Chairperson (STA)

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN AND DELHI

This agreement made this day of 20th June, 2001 between the Governor of Rajasthan (hereinafter referred to as the Govt. of Rajasthan which expression shall include his successor in office) of the one part and the President of India on behalf of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred as the Govt. of Delhi which expression shall include its successor in office) of the second part.

Scanned with CamScanner